

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 509 OF 2025**

**IN THE MATTER OF:**  
**AMIT GUPTA**

**.....APPLICANT**

**VERSUS**

**NOIDA AUTHORITY & ORS.**

**.....RESPONDENTS**

**INDEX**

SLNo.	PARTICULARS	PAGES
1.	REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO.-6, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD	1-3
2.	<b><u>ANNEXURE-1</u></b> True copy of the said notification dated 25.01.2018	4-5
3.	<b><u>ANNEXURE-2</u></b> True copy of inspection report in respect of inspection done on 23.02.2026	6-74
4.	<b><u>ANNEXURE-3</u></b> True copy of order dated 20.07.2016	75-84

**NEW DELHI**  
**DATED: 12.03.2026**

**(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)**

Counsel for U.P. Pollution Control Board  
138, New Lawyers Chamber,  
Supreme Court of India,  
New Delhi-110001  
(M.) 9810252518

Email: [pradeepmisra@yahoo.com](mailto:pradeepmisra@yahoo.com)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 509 OF 2025



IN THE MATTER OF:  
AMIT GUPTA

.....APPLICANT

VERSUS

NOIDA AUTHORITY & ORS.

.....RESPONDENTS

REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO.-6, UTTAR  
PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

S.W.-1208

I, Reetesh Kumar Tewari, aged about 50 years, S/o Shri J.N. Tewari, presently posted as Regional Officer, U.P. Pollution Control Board (hereinafter UPPCB), NOIDA at present at New Delhi do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That in the above-noted capacity am well conversant with the facts and records of the present case and also being authorized, am competent to swear this affidavit.
2. That in the present case the grievance has been raised by the Applicant that various agencies doing development work are not following the norms including the notification dated 25.01.2018 issued by MoEF regarding dust emission and not taking the preventative measures to control the pollution. True



*[Handwritten signature]*

copy of the said notification dated 25.01.2018 is being enclosed herewith and marked as **Annexure-1**.

3. That this Hon'ble Tribunal has issued an order dated 24.12.2025, directing that the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) shall regularly monitor the same, ascertain the period of violation for each such instance, and submit the calculation of Environmental Compensation for violations occurring until now or until the next date of hearing.
4. That the said matter is scheduled for hearing before this Hon'ble Tribunal on March 13, 2026.
5. That in compliance with point number 06 of the order passed by the Hon'ble Tribunal dated 24.12.2025, the details of inspections conducted in the Noida region by the Regional Office of the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), Noida, and the recommendation for Environmental Compensation on the basis of polluter pay principle as directed by this Hon'ble Tribunal in O.A. No. 21 of 2014 titled as Vardhman Kaushik Vs. Union of India & Ors. dated 20.07.2016 sent to the Noida Authority are being enclosed herewith and marked as **Annexure-2 (Colly)**.

True copy of order dated 20.07.2016 is being enclosed herewith and marked as **Annexure-3**.



The above reply on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at NOIDA on this the 11.. day of March, 2026 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT



**ATTESTED**

**RAMBIR SHARMA**  
Advocate Notary  
(G.B. Nagar)

**11 MAR 2026**

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 25, 2018/माघ 5, 1939

No. 49]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 25, 2018/MAGHA 5, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2018

सा.का.नि. 94(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए, एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2018 है।  
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
  2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में, अनुसूची-1 में, क्रम संख्या 105 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—
- “106. पर्यावरणीय स्वीकृति की अपेक्षा वाली परियोजनाओं से संबंधित निर्माण एवं विध्वंस क्रियाकलापों के लिए धूल उपशमन उपायों का आज्ञापक कार्यान्वयन :
- (i) पर्यावरणीय स्वीकृति की अपेक्षा वाली कोई भी भवन अथवा अवसंरचना परियोजना धूल उपशमन उपायों सहित अनुमोदित पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के बिना कार्यान्वित नहीं की जाएगी।
  - (ii) निर्माण स्थलों पर या वहां तक जाने वाली सड़कें खड्डंजा और ब्लैकटॉप्ड (अर्थात् मेटेलिक सड़कें) होनी चाहिए।
  - (iii) पर्याप्त धूल उपशमन उपायों के बिना मिट्टी की खुदाई नहीं की जाएगी।
  - (iv) कोई भी मिट्टी या रेत या निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट या धूल वाली कोई अन्य निर्माण सामग्री बिना ढके नहीं छोड़ी जाएगी।
  - (v) समुचित ऊंचाई अर्थात् भवन की ऊंचाई की 1/3 और अधिकतम 10 मीटर तक के विंड-ब्रेकर की व्यवस्था की जाएगी।
  - (vi) जल छिड़काव प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी।
  - (vii) निर्माण स्थल पर जनता को आसानी से दिखाई देने के लिए धूल उपशमन उपायों का स्पष्ट तौर पर प्रदर्शन किया जाएगा।

**107. सभी निर्माण एवं विध्वंस क्रियाकलापों के लिए धूल उपशमन उपायों का अनिवार्य कार्यान्वयन :**

- (i) खुले क्षेत्र में भवन सामग्रियों की घिसाई तथा कटाई को प्रतिबंधित किया जाएगा।
- (ii) निर्माण सामग्री तथा अपशिष्ट का भंडारण केवल निर्धारित क्षेत्र के अंदर किया जाएगा और निर्माण सामग्री तथा अपशिष्ट को सड़क के किनारे भंडारण को प्रतिबंधित किया जाएगा।
- (iii) निर्माण सामग्री तथा अपशिष्ट ढोने वाले बिना ढके हुए किसी भी वाहन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (iv) निर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान स्थल का अभिनिर्धारण किया जाएगा और स्थल पर अपेक्षित धूल उपशमन उपाय अधिसूचित किए जाएंगे।

**नोट :** उपरोक्त क्रम संख्यांक 106 और 107 उन नगरों और शहरों के लिए लागू होंगे जहां धूलकण 10/ धूलकण 2.5 राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों में निर्धारित सीमाओं से अधिक हो।”

[फा. सं. क्यू-16017/172/2017-सीपीए]

रितेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

**नोट :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में का.आ. सं. 844(अ), तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए थे, अर्थात् :-

का.आ. 433(अ), तारीख 18 अप्रैल, 1987; सा.का.नि. 176(अ), तारीख 2 अप्रैल, 1996; सा.का.नि. 97(अ), तारीख 18 फरवरी, 2009; सा.का.नि. 149(अ), तारीख 4 मार्च, 2009; सा.का.नि. 543(अ), तारीख 22 जुलाई, 2009; सा.का.नि. 739(अ), तारीख 9 सितम्बर, 2010; सा.का.नि. 809(अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2010; सा.का.नि. 215(अ), तारीख 15 मार्च, 2011; सा.का.नि. 221(अ), तारीख 18 मार्च, 2011; सा.का.नि. 354(अ), तारीख 2 मई, 2011; सा.का.नि. 424(अ), तारीख 1 जून, 2011; सा.का.नि. 446(अ), तारीख 13 जून, 2011; सा.का.नि. 152(अ), तारीख 16 मार्च, 2012; सा.का.नि. 266(अ), तारीख 30 मार्च, 2012; सा.का.नि. 277(अ), तारीख 31 मार्च, 2012; सा.का.नि. 820(अ), तारीख 9 नवम्बर, 2012; सा.का.नि. 176(अ), तारीख 18 मार्च, 2013; सा.का.नि. 535(अ), तारीख 7 अगस्त, 2013; सा.का.नि. 771(अ), तारीख 11 दिसम्बर, 2013; सा.का.नि. 2(अ), तारीख 2 जनवरी, 2014; सा.का.नि. 229(अ), तारीख 28 मार्च, 2014; सा.का.नि. 232(अ), तारीख 31 मार्च, 2014; सा.का.नि. 325(अ), तारीख 7 मई, 2014; सा.का.नि. 612(अ), तारीख 25 अगस्त, 2014; सा.का.नि. 789(अ), तारीख 11 नवम्बर, 2014; का.आ. 3305(अ), तारीख 7 दिसम्बर, 2015; का.आ. 4(अ), तारीख 1 जनवरी, 2016; सा.का.नि. 35(अ), तारीख 14 जनवरी, 2016; सा.का.नि. 281(अ), तारीख 7 मार्च, 2016; सा.का.नि. 496(अ), तारीख 9 मई, 2016; सा.का.नि. 497(अ), तारीख 10 मई, 2016; सा.का.नि. 978(अ), तारीख 10 अक्टूबर, 2016; सा.का.नि. 1016(अ), तारीख 28 अक्टूबर, 2016 और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1265(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा संशोधित किए गए थे।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE****NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th January, 2018

**G.S.R. 94(E).**—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely: -

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2018.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-I, after serial number 105 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

**“106. Mandatory Implementation of Dust Mitigation Measures for Construction and Demolition Activities for projects requiring Environmental Clearance:**

- (i) No building or infrastructure project requiring Environmental Clearance shall be implemented without approved Environmental Management Plan inclusive of dust mitigation measures.

Details of inspection reports and letters to be sent to the Noida Authority in cases where violations of the directions issued in C&D Waste Management Rule 2016, Dust Notification Date-25-01-2018 are found by the executing agencies of the New Okhla Industrial Development Authority during various inspections conducted by the Regional Office-

S.No.	Inspection Date	Letter sent to the Authority on Date	Site Details	Details of Environmental Compensation (Rs.)	Re-Inspection Date	Violation (Yes/No)	Again Letter Sent to Authority on Date	Re-imposed Environmental Compensation
1.	14.01.2026	19-01-2026	Sector-45, Noida	50,000/-	06-03-2026	Yes	06-03-2026	50,000/-
2.	14.01.2026	19-01-2026	Sector-45, Noida	50,000/-	06-03-2026	Yes	06-03-2026	50,000/-
3.	14.01.2026	19-01-2026	Sector-62, Noida	50,000/-	06-03-2026	Yes	06-03-2026	50,000/-
4.	19.01.2026	19-01-2026	Sector-12, Noida	20,000/-	06-03-2026	Yes	06-03-2026	20,000/-
5.	19.01.2026	20-01-2026	Sector-50, Noida	50,000/-	06-03-2026	Yes	06-03-2026	50,000/-
6.	19.01.2026	20-01-2026	Sector-20, Noida	50,000/-	06-03-2026	Yes	06-03-2026	50,000/-
7.	19.01.2026	20-01-2026	Sector-50, Noida	50,000/-	06-03-2026	Yes	06-03-2026	50,000/-
8.	19.01.2026	20-01-2026	Sector-50, Noida	50,000/-	06-02-2026 & 06-03-2026	Yes	06-02-2026 & 06-03-2026	50,000/- & 50,000/-
9.	19.01.2026	20-01-2026	Sector-107, Noida	10,000/-	06-03-2026	Yes	06-03-2026	10,000/-
10.	19.01.2026	20-01-2026	Sector-107, Noida	10,000/-	06-03-2026	Yes	06-03-2026	10,000/-
11.	20.01.2026	21-01-2026	Sector-122, Noida	50,000/-	06-03-2026	Yes	06-03-2026	50,000/-
12.	12.02.2026	19-02-2026	Sector-15, Noida	50,000/-	06-03-2026	Yes	06-03-2026	50,000/-

**Note:** In continuation of the order passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in OA No. 21/2014 Vardhman Kaushik vs Union of India and others, the environmental compensation has been directed to be levied on area/slab basis and not on the number of days for which the violation has been committed.

  
AEE

  
RO



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा  
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांक: 2015/सा040-134/26

दिनांक: 06-03-2026

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा

विषय:—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-06.03.2026 को पुनः निरीक्षण के दौरान आम्रपाली सोसायटी, सेक्टर-45, नोएडा के पास पुलिस चौकी के पास में पी0वी0एन0एल0 की कार्यदायी संस्था के द्वारा भूमिगत पाइप पाइपलाइन डालने के उपरांत मिट्टी को सड़क के किनारे खुले में भण्डारित कर दिया गया है, जिस पर ग्रीन नेट कवरिंग व समुचित जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी है। जिसके फलस्वरूप हवा चलने व वाहनों के आवागमन से आस-पास के वायुमण्डल में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः पी0वी0एन0एल0 की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू0 50,000/- (रू0 पचास हजार मात्र) की पर्यावणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित करने की पुनः संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है। उक्त के अतिरिक्त आपसे पुनः अनुरोध है कि उक्त स्थल पर मिट्टी को हटाये जाने एवं रोड की मरम्मत कराये जाने, पानी की छिड़काव कराये जाने एवं निरंतर मैकेनिकल स्वीपिंग कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :


1. जिलाधिकारी, जनपद-गौतमबुद्ध नगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : ई-12/1, सेक्टर-1, नोएडा-201301 फोन नं० : 0120-4974552

मुख्यालय : TC-12V, किमुति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Website - www.uppcb.com, e-mail : ronoida@uppcb.in

1.	स्थल का पूर्ण पता	आम्रपाली सोसायटी, सेक्टर-45, नोएडा के पास।
2.	पुनः निरीक्षण दिनांक	06.03.2026
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	श्री आशीष चौहान, एस0ई0ए0, श्री रवि कुमार, जे0ई0ए0
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	आम्रपाली सोसायटी, सेक्टर-45, नोएडा के पास पी0वी0एन0एल0 की कार्यदायी संस्था के द्वारा भूमिगत पाइपलाइन डालने का कार्य प्रगति पर पाया गया, जिससे उत्पन्न मिट्टी को सड़क के किनारे खुले में भण्डारित कर दिया गया है।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय भूमिगत पाइपलाइन डालने के उपरांत उत्पन्न मिट्टी को सड़क के किनारे खुले में भण्डारित कर दिया गया है। निरीक्षण के दौरान लिए गये फोटोग्राफ निम्नवत् है-
		
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	आम्रपाली सोसायटी, सेक्टर-45, नोएडा के पास पी0वी0एन0एल0 की कार्यदायी संस्था के द्वारा भूमिगत पाइपलाइन डालने के उपरांत मिट्टी की खुदाई कर सड़क के किनारे खुले में भण्डारित कर दी गयी है। भण्डारित मिट्टी पर जल छिड़काव व ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने से वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष आम्रपाली सोसायटी, सेक्टर-45, नोएडा के पास निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया। अतः पी0वी0एन0एल0 की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू0

	<p>50,000/- (पचास हजार ₹0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की पुनः संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित। उक्त के अतिरिक्त आपसे अनुरोध है कि उक्त स्थल पर मिट्टी को हटाये जाने एवं रोड की मरम्मत कराये जाने, पानी का छिड़काव कराये जाने एवं निरंतर मैकेनिकल स्वीपिंग कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।</p>
--	---

*Bevi*  
06/03/26  
(रवि कुमार)  
जे0ई0ए0

*Shree*  
06/03/26  
(आशीष चौहान)  
एस0ई0ए0

सहायक पर्यावरण/क्षेत्रीय अधिकारी

*[Signature]*

*[Signature]*  
6.3.26

**नोट : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है**

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
  1. 100 वर्ग मीटर तक – ₹0 10,000/- अर्थ दण्ड।
  2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक – ₹0 20,000/- अर्थ दण्ड।
  3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक – ₹0 30,000/- अर्थ दण्ड।
  4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक – ₹0 50,000/- अर्थ दण्ड।
  5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक – ₹0 5,00,000/- अर्थ दण्ड।
  6. बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में ₹0 5,000/- एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा  
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांक: 2016/सा040-194/26

दिनांक: 06-03-2026

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा

विषय:—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-06.03.2026 को पुनः निरीक्षण के दौरान NRI Residency, Sector-45, Noida, के सामने नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के द्वारा नाला बनाने का कार्य प्रगति पर पाया गया, जिससे उत्पन्न मिट्टी को सड़क के किनारे खुले में भण्डारित कर दिया गया है, जिस पर ग्रीन नेट कवरिंग व समुचित जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी है। जिसके फलस्वरूप हवा चलने व वाहनों के आवागमन से आस-पास के वायुमण्डल में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः नोएडा प्राधिकरण की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू0 50,000/- (रू0 पचास हजार मात्र) की पर्यावणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित करने की पुनः संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है। उक्त के अतिरिक्त आपसे अनुरोध है कि उक्त स्थल पर मिट्टी को हटाये जाने एवं रोड की मरम्मत कराये जाने, पानी की छिड़काव कराये जाने एवं निरंतर मैकेनिकल स्वीपिंग कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, जनपद-गौतमबुद्ध नगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या-

1.	स्थल का पूर्ण पता	NRI Residency, Sector-45, Noida, के सामने।
2.	पुनः निरीक्षण दिनांक	06.03.2026
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	श्री आशीष चौहान, एस0ई0ए0, श्री रवि कुमार, जे0ई0ए0
4.	एक्टिविटी /इकाई की प्रकृति	NRI Residency, Sector-45, Noida, के सामने नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के द्वारा नाला बनाने का कार्य प्रगति पर पाया गया, जिससे उत्पन्न मिट्टी को सड़क के किनारे खुले में भण्डारित कर दिया गया है।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय नाला बनाने से उत्पन्न मिट्टी को सड़क किनारे खुले में भण्डारित कर दिया गया है। निरीक्षण के दौरान लिए गये फोटोग्राफ निम्नवत् है-
		
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	NRI Residency, Sector-45, Noida, के सामने नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के द्वारा नाला बनाने का कार्य प्रगति पर पाया गया, जिससे मिट्टी की खुदाई कर सड़क के किनारे खुले में भण्डारित कर दी गयी है। भण्डारित मिट्टी पर जल छिड़काव व ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने से वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष NRI Residency, Sector-45, Noida, के सामने निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया। अतः नोएडा प्राधिकरण की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू0 50,000/- (पचास हजार रू0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की पुनः संस्तुति सहित

	<p>आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित। उक्त के अतिरिक्त आपसे अनुरोध है कि उक्त स्थल पर मिट्टी को हटाये जाने एवं रोड की मरम्मत कराये जाने, पानी का छिड़काव कराये जाने एवं निरंतर मैकेनिकल स्वीपिंग कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।</p>
--	--

*Bevi*  
6/10/26

(रवि कुमार)  
जे०ई०ए०

*Bevi*  
6/10/26

(आशीष चौहान)  
एस०ई०ए०

सहा०पर्या०अभि० / क्षेत्रीय अधिकारी

*Bevi*  
*Bevi*  
6.3.26

**नोट : मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है**

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
  1. 100 वर्ग मीटर तक – ₹ 10,000/- अर्थ दण्ड।
  2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक – ₹ 20,000/- अर्थ दण्ड।
  3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक – ₹ 30,000/- अर्थ दण्ड।
  4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक – ₹ 50,000/- अर्थ दण्ड।
  5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक – ₹ 5,00,000/- अर्थ दण्ड।
  6. बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में ₹ 5,000/- एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा  
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांक: 2017/सा040-134/26

दिनांक: 06-03-2026

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा

विषय:—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-06.03.2026 को पुनः निरीक्षण के दौरान NTPC, Vinayak Apartment, Plot No-C-58/1, Sector-62, Noida के पास नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के द्वारा फुटपाथ बनाने के उपरांत मिट्टी को सड़क के किनारे खुले में भण्डारित कर दिया गया है, जिस पर ग्रीन नेट कवरिंग व समुचित जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी है। जिसके फलस्वरूप हवा चलने व वाहनों के आवागमन से आस-पास के वायुमण्डल में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः नोएडा प्राधिकरण की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू0 50,000/- (रू0 पचास हजार मात्र) की पर्यावणीय क्षतिपूर्ति/अर्धदण्ड अधिरोपित करने की पुनः पुनः संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है। उक्त के अतिरिक्त आपसे अनुरोध है कि उक्त स्थल पर मिट्टी को हटाये जाने एवं रोड की मरम्मत कराये जाने, पानी की छिड़काव कराये जाने एवं निरंतर मैकेनिकल स्वीपिंग कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, जनपद-गौतमबुद्ध नगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या-

1.	स्थल का पूर्ण पता	NTPC, Vinayak Apartment, Plot No-C-58/1, Sector-62, Noida के पास।
2.	पुनः निरीक्षण दिनांक	06.03.2026
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	श्री आशीष चौहान, एस०ई०ए०, श्री रवि कुमार, जे०ई०ए०
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	NTPC, Vinayak Apartment, Plot No-C-58/1, Sector-62, Noida के पास नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के द्वारा फुटपाथ बनाने के उपरांत मिट्टी को सड़क के किनारे खुले में भण्डारित कर दिया गया है।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो०नं०	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय फुटपाथ बनाने के उपरांत मिट्टी को सड़क के किनारे खुले में भण्डारित किया पाया गया। निरीक्षण के दौरान लिए गये फोटोग्राफ निम्नवत् है-
		
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	NTPC, Vinayak Apartment, Plot No-C-58/1, Sector-62, Noida के पास नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के द्वारा फुटपाथ बनाने के उपरांत मिट्टी को सड़क के किनारे खुले में भण्डारित कर दिया गया है। भण्डारित मिट्टी पर जल छिड़काव व ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने से वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष NTPC, Vinayak Apartment, Plot No-C-58/1, Sector-62, Noida के पास निरीक्षण के समय मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा० सी०ए०क्यू०एम०

	<p>के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया। अतः नोएडा प्राधिकरण की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार ₹0 50,000/- (पचास हजार ₹0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की पुनः पुनः संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित। उक्त के अतिरिक्त आपसे अनुरोध है कि उक्त स्थल पर मिट्टी को हटाये जाने एवं रोड की मरम्मत कराये जाने, पानी का छिड़काव कराये जाने एवं निरंतर मैकेनिकल स्वीपिंग कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।</p>
--	---

*Bevi*  
8/6/03/26  
(रवि कुमार)  
जे0ई0ए0

*Bevi*  
8/6/03/26  
(आशीष चौहान)  
एस0ई0ए0

सहायपर्या0अभि0/क्षेत्रीय अधिकारी

नोट : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
  1. 100 वर्ग मीटर तक - ₹0 10,000/- अर्थ दण्ड।
  2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक - ₹0 20,000/- अर्थ दण्ड।
  3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक - ₹0 30,000/- अर्थ दण्ड।
  4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक - ₹0 50,000/- अर्थ दण्ड।
  5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक - ₹0 5,00,000/- अर्थ दण्ड।
  6. बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में ₹0 5,000/- एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा  
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांक: 2018/साठपठ-194/26

दिनांक: 06-03-2026

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा

विषय:—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-06.03.2026 को पुनः निरीक्षण के दौरान ब्लाक बी, सेक्टर-12, नोएडा के पास नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा नाले का निर्माण कार्य होता हुआ पाया गया एवं नाले के निर्माण हेतु निर्माण सामग्री एवं मिट्टी का खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया, जिस पर समुचित जल छिड़काव एवं ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी है। जिसके फलस्वरूप हवा चलने व वाहनों के आवागमन से आस-पास के वायुमण्डल में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू0 20,000/- (रू0 बीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पुनः संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, जनपद-गौतमबुद्ध नगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।


क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनिन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या-

1.	स्थल का पूर्ण पता	ब्लाक बी, सेक्टर-12, नोएडा के पास।
2.	पुनः निरीक्षण दिनांक	06.03.2026
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	श्री आशीष चौहान, एस0ई0ए0, श्री रवि कुमार, जे0ई0ए0
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	ब्लाक बी, सेक्टर-12, नोएडा के पास नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा नाले का निर्माण कार्य होता हुआ पाया गया एवं नाले के निर्माण हेतु निर्माण सामग्री एवं मिट्टी का खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा नाले का निर्माण कार्य होता हुआ पाया गया एवं नाले के निर्माण हेतु निर्माण सामग्री एवं मिट्टी का खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया तथा मिट्टी पर ग्रीन नेट कवरिंग व जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।
		
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	उपरोक्त संदर्भित स्थल पर निर्माण सामग्री एवं मिट्टी खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया तथा निर्माण सामग्री एवं मिट्टी पर जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने पर वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष ब्लाक बी, सेक्टर-12, नोएडा के पास निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार 20,000/- (बीस हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की पुनः संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

सहा0पर्या0अभि0/क्षेत्रीय अधिकारी

  
(रवि कुमार)  
जे0ई0ए0

  
(आशीष चौहान)  
एस0ई0ए0



  
6.3/26  
R

नोट : मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
  1. 100 वर्ग मीटर तक – **₹ 10,000/-** अर्थ दण्ड।
  2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक – **₹ 20,000/-** अर्थ दण्ड।
  3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक – **₹ 30,000/-** अर्थ दण्ड।
  4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक – **₹ 50,000/-** अर्थ दण्ड।
  5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक – **₹ 5,00,000/-** अर्थ दण्ड।
  6. बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में **₹ 5,000/-** एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा  
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांक: 2019/सा040-134/26

दिनांक: 06-03-2026

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा

विषय:-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-06.03.2026 को पुनः निरीक्षण के दौरान ए-72, सेक्टर-50, नोएडा के सामने पी0वी0वी0एन0एल0 की कार्यदायी संस्था के द्वारा भूमिगत केबिल डालने के उपरांत मिट्टी की खुदाई कर रोड के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है, जिस पर ग्रीन नेट कवरिंग व समुचित जल छिड़काव की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। जिसके फलस्वरूप हवा चलने व वाहनों के आवागमन से आस-पास के वायुमण्डल में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में पी0वी0वी0एन0एल0 की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू0 50,000/- (रू0 पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पुनः संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।


भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, जनपद-गौतमबुद्ध नगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

1.	स्थल का पूर्ण पता	ए-72, सेक्टर-50, नोएडा के सामने।
2.	पुनः निरीक्षण दिनांक	06.03.2026
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	श्री आशीष चौहान, एस0ई0ए0, श्री रवि कुमार, जे0ई0ए0
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	ए-72, सेक्टर-50, नोएडा के सामने पी0वी0वी0एन0एल0 की कार्यदायी संस्था के द्वारा भूमिगत केबिल डालने के उपरांत मिट्टी की खुदाई कर रोड के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय पी0वी0वी0एन0एल0 की कार्यदायी संस्था के द्वारा भूमिगत केबिल डालने के उपरांत मिट्टी की खुदाई कर रोड के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है तथा मिट्टी पर ग्रीन नेट कवरिंग व जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।
		
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	उपरोक्त संदर्भित स्थल पर मिट्टी का सड़क के किनारे खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया तथा मिट्टी पर जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने पर वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष ए-72, सेक्टर-50, नोएडा के सामने निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत पी0वी0वी0एन0एल0 की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार 50,000/- (पचास हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की पुनः संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

सहा0पर्या0अभि0/क्षेत्रीय अधिकारी

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 6/3/26  
 Ro

*[Handwritten signature]*  
 06/03/26  
 (रवि कुमार)  
 जे0ई0ए0

*[Handwritten signature]*  
 06/03/26  
 (आशीष चौहान)  
 एस0ई0ए0

नोट : मा10 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
  1. 100 वर्ग मीटर तक – **₹ 10,000/-** अर्थ दण्ड।
  2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक – **₹ 20,000/-** अर्थ दण्ड।
  3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक – **₹ 30,000/-** अर्थ दण्ड।
  4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक – **₹ 50,000/-** अर्थ दण्ड।
  5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक – **₹ 5,00,000/-** अर्थ दण्ड।
  6. बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में **₹ 5,000/-** एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा  
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांक: 2020/सा०५०-१५४/२६

दिनांक: 06-03-2026

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा

विषय:—मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-06.03.2026 को पुनः निरीक्षण के दौरान विद्युत भण्डार केन्द्र, सेक्टर-20, नोएडा के पास पी०वी०वी०एन०एल० की कार्यदायी संस्था के द्वारा भूमिगत केबिल डालने के उपरांत मिट्टी की खुदाई कर रोड के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है, जिस पर ग्रीन नेट कवरींग व समुचित जल छिड़काव की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। जिसके फलस्वरूप हवा चलने व वाहनों के आवागमन से आस-पास के वायुमण्डल में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में पी०वी०वी०एन०एल० की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू० 50,000/- (रू० पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पुनः संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, जनपद-गौतमबुद्ध नगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ऑ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या-

1.	स्थल का पूर्ण पता	विद्युत भण्डार केन्द्र, सेक्टर-20, नोएडा के पास।
2.	निरीक्षण दिनांक	06.03.2026
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	श्री आशीष चौहान, एस0ई0ए0, श्री रवि कुमार, जे0ई0ए0
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	विद्युत भण्डार केन्द्र, सेक्टर-20, नोएडा के पास पी0वी0वी0एन0एल0 की कार्यदायी संस्था के द्वारा भूमिगत केबिल डालने के उपरांत मिट्टी की खुदाई कर रोड के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय पी0वी0वी0एन0एल0 की कार्यदायी संस्था के द्वारा भूमिगत केबिल डालने के उपरांत मिट्टी की खुदाई कर रोड के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है तथा मिट्टी पर ग्रीन नेट कवरिंग व जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।
		
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	उपरोक्त संदर्भित स्थल पर मिट्टी का सड़क के किनारे खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया तथा मिट्टी पर जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने पर वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष विद्युत भण्डार केन्द्र, सेक्टर-20, नोएडा के पास निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत पी0वी0वी0एन0एल0 की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार 50,000/- (पचास हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की पुनः संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

सहा0पर्या0अभि0/क्षेत्रीय अधिकारी

*[Handwritten signature]*  
6.3.26  
Ro

*[Handwritten signature]*  
06/03/26  
(रवि कुमार)  
जे0ई0ए0

*[Handwritten signature]*  
06/03/26  
(आशीष चौहान)  
एस0ई0ए0

नोट : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
  1. 100 वर्ग मीटर तक – **₹ 10,000/-** अर्थ दण्ड।
  2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक – **₹ 20,000/-** अर्थ दण्ड।
  3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक – **₹ 30,000/-** अर्थ दण्ड।
  4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक – **₹ 50,000/-** अर्थ दण्ड।
  5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक – **₹ 5,00,000/-** अर्थ दण्ड।
  6. बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में **₹ 5,000/-** एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा  
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांक: 2021/साप्र0-194/26

दिनांक: 06-03-2026

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा

विषय:—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-06.03.2026 को पुनः निरीक्षण के दौरान मेगदूतम पार्क, सेक्टर-50, नोएडा के पास पी0वी0वी0एन0एल0 की कार्यदायी संस्था के द्वारा भूमिगत केबिल डालने के उपरांत मिट्टी की खुदाई कर रोड के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है, जिस पर ग्रीन नेट कवरिंग व समुचित जल छिड़काव की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। जिसके फलस्वरूप हवा चलने व वाहनों के आवागमन से आस-पास के वायुमण्डल में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में पी0वी0वी0एन0एल0 की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू0 50,000/- (रू0 पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पुनः संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, जनपद-गौतमबुद्ध नगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

1.	स्थल का पूर्ण पता	मेगदूतम पार्क, सेक्टर-50, नोएडा के पास।
2.	पुनः निरीक्षण दिनांक	06.03.2026
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	श्री आशीष चौहान, एस0ई0ए0, श्री रवि कुमार, जे0ई0ए0
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	मेगदूतम पार्क, सेक्टर-50, नोएडा के पास पी0वी0वी0एन0एल0 की कार्यदायी संस्था के द्वारा भूमिगत केबिल डालने के उपरांत मिट्टी की खुदाई कर रोड के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय पी0वी0वी0एन0एल0 की कार्यदायी संस्था के द्वारा भूमिगत केबिल डालने के उपरांत मिट्टी की खुदाई कर रोड के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है तथा मिट्टी पर ग्रीन नेट कवरींग व जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।



8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	उपरोक्त संदर्भित स्थल पर मिट्टी का सड़क के किनारे खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया तथा मिट्टी पर जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने पर वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष मेगदूतम पार्क, सेक्टर-50, नोएडा के पास निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत पी0वी0वी0एन0एल0 की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार 50,000/- (पचास हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की पुनः संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

सहा0पर्या0अभि0 / क्षेत्रीय अधिकारी

रवि कुमार  
06/03/26  
जे0ई0ए0

आशीष चौहान  
06/03/26  
एस0ई0ए0

6.3.26  
Ro

नोट : मा10 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
  1. 100 वर्ग मीटर तक – **₹ 10,000/-** अर्थ दण्ड।
  2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक – **₹ 20,000/-** अर्थ दण्ड।
  3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक – **₹ 30,000/-** अर्थ दण्ड।
  4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक – **₹ 50,000/-** अर्थ दण्ड।
  5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक – **₹ 5,00,000/-** अर्थ दण्ड।
  6. बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में **₹ 5,000/-** एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा  
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांक: 2022/साफ-194/26

दिनांक: 06-03-2026

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा

विषय:—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-06.03.2026 को पुनः निरीक्षण के दौरान सेक्टर-50, निकट एस0टी0पी0, नोएडा के पास नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा सीवेज पाइप लाइन डालने का कार्य होता हुआ पाया गया एवं मिट्टी की खुदाई कर खुले में भण्डारण कर दिया गया है, जिस पर ग्रीन नेट कवरिंग व समुचित जल छिड़काव की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। जिसके फलस्वरूप हवा चलने व वाहनों के आवागमन से आस-पास के वायुमण्डल में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू0 50,000/- (रू0 पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पुनः संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, जनपद-गौतमबुद्ध नगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : ई-12/1, सेक्टर-1, नोएडा-201301 फोन नं० : 0120-4974552

मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Website - www.uppcb.com, e-mail : ronoida@uppcb.in

e:\ashish sea\covering.doc

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ऑ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या-

1.	स्थल का पूर्ण पता	सेक्टर-50, निकट एस0टी0पी0, नोएडा के पास।
2.	पुनः निरीक्षण दिनांक	06.03.2026
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	श्री आशीष चौहान, एस0ई0ए0, श्री रवि कुमार, जे0ई0ए0
4.	एक्टिविटी /इकाई की प्रकृति	सेक्टर-50, निकट एस0टी0पी0, नोएडा के पास नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा सीवेज पाइप लाइन डालने का कार्य होता हुआ पाया गया एवं मिट्टी की खुदाई कर खुले में भण्डारण कर दिया गया है।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा सीवेज पाइप लाइन डालने का कार्य होता हुआ पाया गया एवं मिट्टी की खुदाई कर खुले में भण्डारण कर दिया गया है तथा मिट्टी पर ग्रीन नेट कवरिंग व जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	उपरोक्त सदर्भित स्थल पर मिट्टी खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया तथा मिट्टी पर जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने पर वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष सेक्टर-50, निकट एस0टी0पी0, नोएडा के पास निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत पी0वी0वी0एन0एल0 की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार 50,000/- (पचास हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की पुनः संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

सहायक निरीक्षक / क्षेत्रीय अधिकारी

*(रवि कुमार)*  
जे0ई0ए0

*(आशीष चौहान)*  
एस0ई0ए0

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
6.3.26  
Ro

**नोट : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है**

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
  1. 100 वर्ग मीटर तक – **₹ 10,000/-** अर्थ दण्ड।
  2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक – **₹ 20,000/-** अर्थ दण्ड।
  3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक – **₹ 30,000/-** अर्थ दण्ड।
  4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक – **₹ 50,000/-** अर्थ दण्ड।
  5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक – **₹ 5,00,000/-** अर्थ दण्ड।
  6. बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में **₹ 5,000/-** एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा  
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांक: 2023/साठपठ-194/26

दिनांक: 06-03-2026

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा

विषय:—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-06.03.2026 को पुनः निरीक्षण के दौरान नियर लोटस 300, सेक्टर-107, नोएडा के सामने नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा नाला मरम्मतकरण के कार्य के उपरांत मिट्टी एवं मलबा को सड़क के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है, जिस पर समुचित जल छिड़काव एवं ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी है। जिसके फलस्वरूप हवा चलने व वाहनों के आवागमन से आस-पास के वायुमण्डल में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू0 10,000/- (रू0 दस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पुनः संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, जनपद-गौतमबुद्ध नगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

1.	स्थल का पूर्ण पता	नियर लोटस 300, सेक्टर-107, नोएडा के सामने।
2.	पुनः निरीक्षण दिनांक	06.03.2026
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	श्री आशीष चौहान, एस0ई0ए0, श्री रवि कुमार, जे0ई0ए0
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	नियर लोटस 300, सेक्टर-107, नोएडा के सामने नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा नाला मरम्मीकरण के कार्य के उपरांत मिट्टी एवं मलबा को सड़क के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा नाला मरम्मीकरण के कार्य के उपरांत मिट्टी एवं मलबा को सड़क के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है तथा मिट्टी एवं मलबा पर ग्रीन नेट कवरींग व जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	उपरोक्त संदर्भित स्थल पर मिट्टी एवं मलबा का सड़क के किनारे खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया तथा मिट्टी एवं मलबा पर जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने पर वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष नियर लोटस 300, सेक्टर-107, नोएडा के सामने निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार 10,000/- (दस हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की पुनः संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

*Ravi Kumar*  
 (रवि कुमार)  
 जे0ई0ए0

*Ashish Chauhan*  
 (आशीष चौहान)  
 एस0ई0ए0

सहा0पर्या0अभि0/क्षेत्रीय अधिकारी

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*  
 6.3.26  
 Ro

नोट : मा10 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
  1. 100 वर्ग मीटर तक – **₹ 10,000/-** अर्थ दण्ड।
  2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक – **₹ 20,000/-** अर्थ दण्ड।
  3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक – **₹ 30,000/-** अर्थ दण्ड।
  4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक – **₹ 50,000/-** अर्थ दण्ड।
  5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक – **₹ 5,00,000/-** अर्थ दण्ड।
  6. बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में **₹ 5,000/-** एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा  
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांक: 2024/सा०५०-194/26

दिनांक: 06-03-2026

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा

विषय:—मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-06.03.2026 को पुनः निरीक्षण के दौरान निकट महागुन, सेक्टर-107, नोएडा के पास आई०जी०एल० की कार्यदायी संस्था के द्वारा गैस पाइप लाइन डालने के उपरांत मिट्टी की खुदाई कर सड़क के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है, जिस पर समुचित जल छिड़काव एवं ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी है। जिसके फलस्वरूप हवा चलने व वाहनों के आवागमन से आस-पास के वायुमण्डल में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में आई०जी०एल० की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू० 10,000/- (रू० दस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पुनः संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, जनपद-गौतमबुद्ध नगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी


क्षेत्रीय कार्यालय : ई-12/1, सेक्टर-1, नोएडा-201301 फोन नं० : 0120-4974552

मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोगती नगर, लखनऊ 226010

Website - www.uppcb.com, e-mail : ronoida@uppcb.in

e:\ashish sea\covering.doc

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ऑ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या-

1.	स्थल का पूर्ण पता	निकट महागुन, सेक्टर-107, नोएडा के पास।
2.	पुनः निरीक्षण दिनांक	06.03.2026
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	श्री आशीष चौहान, एस0ई0ए0, श्री रवि कुमार, जे0ई0ए0
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	निकट महागुन, सेक्टर-107, नोएडा के पास आई0जी0एल0 की कार्यदायी संस्था के द्वारा गैस पाइप लाइन डालने के उपरांत मिट्टी की खुदाई कर सड़क के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय आई0जी0एल0 की कार्यदायी संस्था के द्वारा सड़क के किनारे मिट्टी की खुदाई कर खुले में भण्डारण कर दिया गया है तथा मिट्टी पर ग्रीन नेट कवरिंग व जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।
		
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	उपरोक्त संदर्भित स्थल पर मिट्टी का सड़क के किनारे खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया तथा मिट्टी पर जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने पर वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष निकट महागुन, सेक्टर-107, नोएडा के पास निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत नोएडा अथारिटी की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार 10,000/- (दस हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की पुनः संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

सहा0पर्या0अभि0 / क्षेत्रीय अधिकारी

(रवि कुमार)  
जे0ई0ए0

(आशीष चौहान)  
एस0ई0ए0

अ.प.

6.3.26  
को

नोट : मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
  1. 100 वर्ग मीटर तक – **₹ 10,000/-** अर्थ दण्ड।
  2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक – **₹ 20,000/-** अर्थ दण्ड।
  3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक – **₹ 30,000/-** अर्थ दण्ड।
  4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक – **₹ 50,000/-** अर्थ दण्ड।
  5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक – **₹ 5,00,000/-** अर्थ दण्ड।
  6. बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में **₹ 5,000/-** एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा  
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांक: 2025/साप0-194/26

दिनांक: 06-03-2026

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा

विषय:—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-06.03.2026 को पुनः निरीक्षण के दौरान Sector-122, Near PK Block gate no-1 to gate no-2, Noida के पास नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा नाले का निर्माण कार्य होता हुआ पाया गया एवं नाले के निर्माण हेतु निर्माण सामग्री एवं मिट्टी का खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया, जिस पर समुचित जल छिड़काव एवं ग्रीन नेट कवरींग आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी है। जिसके फलस्वरूप हवा चलने व वाहनों के आवागमन से आस-पास के वायुमण्डल में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू0 50,000/- (रू0 पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पुनः संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, जनपद-गौतमबुद्ध नगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : ई-12/1, सेक्टर-1, नोएडा-201301 फोन नं0 : 0120-4974552

मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 228010

Website - www.uppcb.com, e-mail : ronoida@uppcb.in

e:\ashish sea\covering.doc

1.	स्थल का पूर्ण पता	Sector-122, Near PK Block gate no-1 to gate no-2, Noida के पास।
2.	पुनः निरीक्षण दिनांक	06.03.2026
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	श्री आशीष चौहान, एस0ई0ए0, श्री रवि कुमार, जे0ई0ए0
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	Sector-122, Near PK Block gate no-1 to gate no-2, Noida के पास नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा नाले का निर्माण कार्य होता हुआ पाया गया एवं नाले के निर्माण हेतु निर्माण सामग्री एवं मिट्टी का खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा नाले का निर्माण कार्य होता हुआ पाया गया एवं नाले के निर्माण हेतु निर्माण सामग्री एवं मिट्टी का खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया तथा मिट्टी पर ग्रीन नेट कवरिंग व जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।
		
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	उपरोक्त संदर्भित स्थल पर निर्माण सामग्री एवं मिट्टी का खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया तथा मिट्टी पर जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने पर वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष Sector-122, Near PK Block gate no-1 to gate no-2, Noida के पास निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार 50,000/- (पचास हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की पुनः संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

सहा0पर्या0अभि0/क्षेत्रीय अधिकारी  
 6.3.26  
 Ro

रवि कुमार  
 06/03/26  
 (रवि कुमार)  
 जे0ई0ए0

आशीष चौहान  
 06/03/26  
 (आशीष चौहान)  
 एस0ई0ए0

नोट : मा10 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
  1. 100 वर्ग मीटर तक – **₹ 10,000/-** अर्थ दण्ड।
  2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक – **₹ 20,000/-** अर्थ दण्ड।
  3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक – **₹ 30,000/-** अर्थ दण्ड।
  4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक – **₹ 50,000/-** अर्थ दण्ड।
  5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक – **₹ 5,00,000/-** अर्थ दण्ड।
  6. बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में **₹ 5,000/-** एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा  
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांक: 2026/सं.प्र.प.नं.-154/26

दिनांक: 06-03-2026

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा

विषय:—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनिथन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-06.03.2026 को पुनः स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निकट नोएडा, सेक्टर-15, पिलर नं0-37 से पिलर नं0-44 के मध्य नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा मिट्टी की खुदाई कर खुले में भण्डारण कर दिया गया है, जिस पर समुचित जल छिड़काव एवं ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी है। जिसके फलस्वरूप हवा चलने व वाहनों के आवागमन से आस-पास के वायुमण्डल में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू0 50,000/- (रू0 पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पुनः संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, जनपद-गौतमबुद्ध नगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : ई-12/1, सेक्टर-1, नोएडा-201301 फोन नं0 : 0120-4974552

मुख्यालय : TC-12V, विद्युति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Website - www.uppcb.com, e-mail : ronoida@uppcb.in

e:\ashish sea\covering.doc

1.	स्थल का पूर्ण पता	निकट सेक्टर-15, पिलर नं0-37 से पिलर नं0-44 के मध्य, नोएडा।
2.	पुनः निरीक्षण दिनांक	06.03.2026
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	श्री आशीष चौहान, एस0ई0ए0, श्री रवि कुमार, जे0ई0ए0
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	निकट नोएडा, सेक्टर-15, पिलर नं0-37 से पिलर नं0-44 के मध्य नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा मिट्टी की खुदाई कर खुले में भण्डारण कर दिया गया है।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा मिट्टी की खुदाई कर खुले में भण्डारण कर दिया गया है तथा मिट्टी पर ग्रीन नेट कवरेजिंग व जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।
		
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	उपरोक्त संदर्भित स्थल पर मिट्टी खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया तथा मिट्टी पर जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने पर वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष निकट नोएडा, सेक्टर-15, पिलर नं0-37 से पिलर नं0-44 के मध्य निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार 50,000/- (पचास हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की पुनः संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

सहा0पर्या0अभि0/क्षेत्रीय अधिकारी

*Ravi Kumar*  
 06/03/26  
 (रवि कुमार)  
 जे0ई0ए0

*Ashish Chauhan*  
 06/03/26  
 (आशीष चौहान)  
 एस0ई0ए0

*Handwritten signature*  
 6.3.26  
 Ro

नोट : मा10 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
  1. 100 वर्ग मीटर तक – **₹ 10,000/-** अर्थ दण्ड।
  2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक – **₹ 20,000/-** अर्थ दण्ड।
  3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक – **₹ 30,000/-** अर्थ दण्ड।
  4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक – **₹ 50,000/-** अर्थ दण्ड।
  5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक – **₹ 5,00,000/-** अर्थ दण्ड।
  6. बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में **₹ 5,000/-** एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



पत्रांक: 1575/सपब-134/24

दिनांक:- 13-01-2026

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (K.K.),  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा।

विषय:- आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं0-60000260000091 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं0-60000260000091 के माध्यम से श्री अमित गुप्ता द्वारा सेक्टर-45, आम्रपाली सोसाइटी के पास पुलिस चौकी के समीप नोएडा प्राधिकरण के जल विभाग द्वारा जे.सी. बी. लगाकर सड़क तोड़कर मिट्टी का रोड के किनारे खुले में भण्डारण से हो रहे वायु प्रदूषण की शिकायत की गई है। प्राप्त शिकायत के परिपेक्ष्य में कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-14.01.2026 को शिकायती स्थल आम्रपाली सोसाइटी के पास पुलिस चौकी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय PVVNL की कार्यदायी संस्था द्वारा भूमिगत पाइपलाइन डालने हेतु मिट्टी का सड़क के किनारे खुले में भण्डारित पाया गया, जिस पर ग्रीन नेट कवरिंग व समुचित जल छिड़काव की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। जिसके फलस्वरूप हवा चलने व वाहनों के आवागमन से आस-पास के वायुमण्डल में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 व मा0 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन आयोग के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः PVVNL की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू0 50,000/- (रू0 पचास हजार मात्र) की पर्यावणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित करने की संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है। उक्त के अतिरिक्त आपसे अनुरोध है कि उक्त स्थल पर मिट्टी को हटाये जाने एवं रोड की मरम्मत कराये जाने, पानी का छिड़काव कराये जाने एवं निरंतर मैकेनिकल स्वीपिंग कराये जाने हेतु सम्बंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर का सूचनार्थ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1, उ0प्र0प्र0नि0बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं0-60000260000091 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के अनुक्रम में निरीक्षण आख्या-

1.	स्थल का पूर्ण पता	Amrapali Society, Sector-45, Noida के पास।
2.	निरीक्षण दिनांक	14.01.2026
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	चन्द्र शेखर, (सहायक पर्यावरण अभियन्ता), पूजा त्रिपाठी, (अवर अभियन्ता), रवि कुमार, (जे0आर0एफ0)
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	Amrapali Society, Sector-45, Noida के पास PVVNL की कार्यदायी संस्था के द्वारा भूमिगत पाइपलाइन डालने का कार्य प्रगति पर पाया गया, जिससे उत्पन्न मिट्टी को सड़क के किनारे खुले में भण्डारित कर दिया गया है।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय भूमिगत पाइपलाइन डालने के कार्य से उत्पन्न मिट्टी को सड़क किनारे खुले में भण्डारित कर दिया गया। निरीक्षण के दौरान लिए गए फोटोग्राफ निम्नवत् है-
		
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	Amrapali Society, Sector-45, Noida के पास PVVNL की कार्यदायी संस्था के द्वारा सड़क के किनारे भूमिगत पाइपलाइन डालने का कार्य प्रगति पर पाया गया, जिससे मिट्टी की खुदाई कर सड़क के किनारे खुले में भण्डारित कर दी गयी है। भण्डारित मिट्टी पर जल छिड़काव व ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी, जिससे वाहनों के आवागमन से वायु प्रदूषण की समस्या व्याप्त होना स्वाभाविक है।

9. पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष Amrapali Society, Sector-45, Noida के पास निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया। अतः PVVNL की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार 50,000/- (पचास हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित। उक्त के अतिरिक्त आपसे अनुरोध है कि उक्त स्थल पर मिट्टी को हटाये जाने एवं रोड की मरम्मत कराये जाने, पानी का छिडकाव कराये जाने एवं निरंतर मैकेनिकल स्वीपिंग कराये जाने हेतु सम्बंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
--	--

*Be...*  
17.01.2026  
(रवि कुमार)  
जे0आर0एफ0

*Y...*  
17.01.2026  
(पूजा त्रिपाठी)  
अवर अभियन्ता

*...*  
17.01.2026  
(चन्द्र शेखर)  
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी

*...*  
18.1.26  
*...*

नोट : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
  1. 100 वर्ग मीटर तक - रु0 10,000/- अर्थ दण्ड।
  2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक - रु0 20,000/- अर्थ दण्ड।
  3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक - रु0 30,000/- अर्थ दण्ड।
  4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक - रु0 50,000/- अर्थ दण्ड।
  5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक - रु0 5,00,000/- अर्थ दण्ड।
  6. बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में रु0 5,000/- एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



पत्रांक: 1576/17000-194/24  
सेवा में,

दिनांक:- 19-01-2026

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (K.K.),  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा।

विषय:- आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं0-60000260000091 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं0-60000260000091 के माध्यम से श्री अमित गुप्ता द्वारा सेक्टर-45, आम्रपाली सोसाइटी के पास पुलिस चौकी के समीप नोएडा प्राधिकरण के जल विभाग द्वारा जे.सी. बी. लगाकर सड़क तोड़कर मिट्टी का रोड के किनारे खुले में भण्डारण से हो रहे वायु प्रदूषण की शिकायत की गई है। प्राप्त शिकायत के परिपेक्ष्य में कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-14.01.2026 को शिकयती स्थल आम्रपाली सोसाइटी के पास पुलिस चौकी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान NRI Residency, Sector-45, Noida के सामने नाले के निर्माण का कार्य प्रगति पर पाया गया तथा मिट्टी का सड़क के किनारे खुले में भण्डारित पाया गया, जिस पर ग्रीन नेट कवरिंग व समुचित जल छिड़काव की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। जिसके फलस्वरूप हवा चलने व वाहनों के आवागमन से आस-पास के वायुमण्डल में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 व मा0 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन आयोग के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः नोएडा अथॉरिटी की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू0 50,000/- (रू0 पचास हजार मात्र) की पर्यावणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित करने की संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है। उक्त के अतिरिक्त आपसे अनुरोध है कि उक्त स्थल पर मिट्टी को हटाये जाने एवं रोड की मरम्मत कराये जाने, पानी का छिड़काव कराये जाने एवं निरंतर मैकेनिकल स्वीपिंग कराये जाने हेतु सम्बंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।  
संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी महोदया, गौतमबुद्धनगर का सूचनार्थ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1, उ0प्र0प्र0नि0बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी


आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं0-60000260000091 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के अनुक्रम में निरीक्षण आख्या-

1.	स्थल का पूर्ण पता	NRI Residency, Sector-45, Noida के सामने।
2.	निरीक्षण दिनांक	14.01.2026
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	चन्द्र शेखर, (सहायक पर्यावरण अभियन्ता), पूजा त्रिपाठी, (अवर अभियन्ता), रवि कुमार, (जे0आर0एफ0)
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	NRI Residency, Sector-45, Noida के सामने नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के द्वारा नाला बनाने का कार्य प्रगति पर पाया गया, जिससे उत्पन्न मिट्टी को सड़क के किनारे खुले में भण्डारित कर दिया गया है।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय नाला बनाने से उत्पन्न मिट्टी को सड़क किनारे खुले में भण्डारित कर दिया गया। निरीक्षण के दौरान लिए गए फोटोग्राफ निम्नवत् है-
		
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	NRI Residency, Sector-45, Noida के सामने प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के द्वारा सड़क के किनारे नाला बनाने का कार्य प्रगति पर पाया गया, जिससे मिट्टी की खुदाई कर सड़क के किनारे खुले में भण्डारित कर दी गयी है। भण्डारित मिट्टी पर जल छिड़काव व ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी, जिससे वाहनों के आवागमन से वायु प्रदूषण की समस्या व्याप्त होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष NRI Residency, Sector-45, Noida के सामने निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई

	<p>दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&amp;D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया। अतः नोएडा प्राधिकरण की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार 50,000/- (पचास हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित। उक्त के अतिरिक्त आपसे अनुरोध है कि उक्त स्थल पर मिट्टी को हटाये जाने एवं रोड की मरम्मत कराये जाने, पानी का छिड़काव कराये जाने एवं निरंतर मैकेनिकल स्वीपिंग कराये जाने हेतु सम्बंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।</p>
--	--

  
(रवि कुमार)  
जे0आर0एफ0

  
(पूजा त्रिपाठी)  
अवर अभियन्ता

  
(चन्द्र शेखर)  
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी

नोट : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
  - 100 वर्ग मीटर तक - रु0 10,000/- अर्थ दण्ड।
  - 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक - रु0 20,000/- अर्थ दण्ड।
  - 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक - रु0 30,000/- अर्थ दण्ड।
  - 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक - रु0 50,000/- अर्थ दण्ड।
  - 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक - रु0 5,00,000/- अर्थ दण्ड।
  - बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में रु0 5,000/- एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



पत्रांक: 1577/सापब-131/26  
सेवा में,

दिनांक:- 13-01-2026

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (K.K.),  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा।

विषय:- आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं0-60000250298419 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं0-60000250298419 के माध्यम से श्री अमित गुप्ता द्वारा सेक्टर-62 में नोएडा प्राधिकरण द्वारा निर्माण कार्य से हो रहे वायु प्रदूषण की शिकायत प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायत के परिपेक्ष्य में कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-14.01.2026 को शिकयती स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय NTPC, Vinayak Apartment, Plot No. C-58/1, Sector-62, Noida के पास नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के द्वारा फुटपाथ बनाने का कार्य प्रगति पर पाया गया, जिसके निर्माण हेतु निर्माण सामग्री का रोड के किनारे खुले में भण्डारित किया हुआ पाया गया, जिस पर ग्रीन नेट कवरिंग व समुचित जल छिड़काव की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। जिसके फलस्वरूप हवा चलने व वाहनों के आवागमन से आस-पास के वायुमण्डल में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 व मा0 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन आयोग के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू0 50,000/- (रू0 पचास हजार मात्र) की पर्यावणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित करने की संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है। उक्त के अतिरिक्त आपसे अनुरोध है कि उक्त स्थल पर मिट्टी को हटाये जाने एवं रोड की मरम्मत कराये जाने, पानी का छिड़काव कराये जाने एवं निरंतर मैकेनिकल स्वीपिंग कराये जाने हेतु सम्बंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।  
संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी महोदया, गौतमबुद्धनगर का सूचनार्थ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1, उ0प्र0प्र0नि0बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं0-60000250298419 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के अनुक्रम में निरीक्षण आख्या-


1.	स्थल का पूर्ण पता	NTPC, Vinayak Apartment, Plot No. C-58/1, Sector-62, Noida के पास।
2.	निरीक्षण दिनांक	14.01.2026
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	चन्द्र शेखर, (सहायक पर्यावरण अभियन्ता), पूजा त्रिपाठी, (अवर अभियन्ता), रवि कुमार, (जे0आर0एफ0)
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	NTPC, Vinayak Apartment, Plot No. C-58/1, Sector-62, Noida के पास नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के द्वारा फुटपाथ बनाने का कार्य प्रगति पर पाया गया, जिससे उत्पन्न मिट्टी एवं निर्माण सामग्री को सड़क के किनारे खुले में भण्डारित किया पाया गया।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय निर्माण कार्य हेतु मिट्टी एवं निर्माण सामग्री को सड़क के किनारे खुले में भण्डारित किया पाया गया। निरीक्षण के दौरान लिए गए फोटोग्राफ निम्नवत् है-



8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	NTPC, Vinayak Apartment, Plot No. C-58/1, Sector-62, Noida के पास नोएडा प्राधिकरण की कार्यदायी संस्था के द्वारा फुटपाथ निर्माण का कार्य प्रगति पर पाया गया। निर्माण कार्य हेतु मिट्टी को सड़क के किनारे खुले में भण्डारित किया पाया गया। भण्डारित मिट्टी पर जल छिड़काव व ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी, जिससे वाहनों के आवागमन से वायु प्रदूषण की समस्या व्याप्त होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एफ0 के निर्गत निर्देशों व पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष नोएडा प्राधिकरण की अधिकृत कार्यदायी संस्था द्वारा उल्लंघन पाया गया। अतः नोएडा प्राधिकरण की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार 50,000/- (पचास हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की

	संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित। उक्त के अतिरिक्त आपसे अनुरोध है कि उक्त स्थल पर मिट्टी को हटाये जाने एवं रोड की मरम्मत कराये जाने, पानी का छिड़काव कराये जाने एवं निरंतर मैकेनिकल स्वीपिंग कराये जाने हेतु सम्बंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
--	--

  
17/01/26  
(रवि कुमार)  
जे0आर0एफ0

  
17.01.2026  
(पूजा त्रिपाठी)  
अवर अभियन्ता

  
17.01.2026  
(चन्द्र शेखर)  
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी

  
19.1.26  
R

**नोट : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है**

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
    1. 100 वर्ग मीटर तक - ₹0 10,000/- अर्थ दण्ड।
    2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक - ₹0 20,000/- अर्थ दण्ड।
    3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक - ₹0 30,000/- अर्थ दण्ड।
    4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक - ₹0 50,000/- अर्थ दण्ड।
    5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक - ₹0 5,00,000/- अर्थ दण्ड।
- बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में ₹0 5,000/- एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा  
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांक: 1584/संख्य-194/26

दिनांक: 19-01-2026

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (K.K.),  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा

विषय:—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-19.01.2026 को निरीक्षण के दौरान ब्लाक बी, सेक्टर-12, नोएडा के पास नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा नाले का निर्माण कार्य होता हुआ पाया गया एवं नाले के निर्माण हेतु निर्माण सामग्री एवं मिट्टी का खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया, जिस पर समुचित जल छिड़काव एवं ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी है। जिसके फलस्वरूप हवा चलने व वाहनों के आवागमन से आस-पास के वायुमण्डल में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू0 20,000/- (रू0 बीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, जनपद-गौतमबुद्ध नगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या-

1.	स्थल का पूर्ण पता	ब्लाक बी, सेक्टर-12, नोएडा के पास। Lat-28.592511 Long-77.334549
2.	निरीक्षण दिनांक	19.01.2026
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	श्रीमती पूजा त्रिपाठी, अवर अभियन्ता, श्री रवि कुमार, जे0आर0एफ0
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	ब्लाक बी, सेक्टर-12, नोएडा के पास नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा नाले का निर्माण कार्य होता हुआ पाया गया एवं नाले के निर्माण हेतु निर्माण सामग्री एवं मिट्टी का खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा नाले का निर्माण कार्य होता हुआ पाया गया एवं नाले के निर्माण हेतु निर्माण सामग्री एवं मिट्टी का खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया तथा मिट्टी पर ग्रीन नेट कवरेजिंग व जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।



8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	उपरोक्त संदर्भित स्थल पर निर्माण सामग्री एवं मिट्टी खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया तथा निर्माण सामग्री एवं मिट्टी पर जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने पर वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष ब्लाक बी, सेक्टर-12, नोएडा के पास निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार 20,000/- (बीस हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(रंजीत कुमार)  
जे0आर0एफ0

(पूजा त्रिपाठी)  
अवर अभियन्ता

सहा0पर्या0अभि0/क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा  
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांक: 1593/सा090-194/24

दिनांक: 20-01-2026

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (K.K.),  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा

विषय:—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-19.01.2026 को निरीक्षण के दौरान मेगदूतम पार्क, सेक्टर-50, नोएडा के पास पी0वी0वी0एन0एल0 की कार्यदायी संस्था के द्वारा भूमिगत केविल डालने का कार्य होता हुआ पाया गया एवं मिट्टी खुदाई कर रोड के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है, जिस पर ग्रीन नेट कवरिंग व समुचित जल छिड़काव की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। जिसके फलस्वरूप हवा चलने व वाहनों के आवागमन से आस-पास के वायुमण्डल में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में पी0वी0वी0एन0एल0 की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू0 50,000/- (रू0 पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, जनपद-गौतमबुद्ध नगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या-

1.	स्थल का पूर्ण पता	मेगदूतम पार्क, सेक्टर-50, नोएडा के पास।
2.	निरीक्षण दिनांक	19.01.2026
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	श्रीमती पूजा त्रिपाठी, अवर अभियन्ता, श्री रवि कुमार, जे०आर०एफ०
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	मेगदूतम पार्क, सेक्टर-50, नोएडा के पास पी०वी०वी०एन०एल० की कार्यदायी संस्था के द्वारा भूमिगत केबिल डालने का कार्य होता हुआ पाया गया एवं मिट्टी खुदाई कर रोड के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो०नं०	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय पी०वी०वी०एन०एल० की कार्यदायी संस्था के द्वारा भूमिगत केबिल डालने का कार्य होता हुआ पाया गया एवं मिट्टी की खुदाई कर रोड के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है तथा मिट्टी पर ग्रीन नेट कवरिंग व जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।



8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	उपरोक्त संदर्भित स्थल पर मिट्टी का सड़क के किनारे खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया तथा मिट्टी पर जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने पर वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष मेगदूतम पार्क, सेक्टर-50, नोएडा के पास निरीक्षण के समय मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा० सी०ए०क्यू०एम० के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत पी०वी०वी०एन०एल० की कार्यदायी संस्था के



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा  
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांक: 1592/सा०प०-194/24

दिनांक: 20-01-2024

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (K.K.),  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-19.01.2026 को निरीक्षण के दौरान विद्युत भण्डार केन्द्र, सेक्टर-20, नोएडा के पास पी०वी०वी०एन०एल० की कार्यदायी संस्था के द्वारा भूमिगत केबिल डालने का कार्य होता हुआ पाया गया एवं मिट्टी खुदाई कर रोड के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है, जिस पर ग्रीन नेट कवरिंग व समुचित जल छिड़काव की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। जिसके फलस्वरूप हवा चलने व वाहनों के आवागमन से आस-पास के वायुमण्डल में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में पी०वी०वी०एन०एल० की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू० 50,000/- (रू० पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, जनपद-गौतमबुद्ध नगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या-

1.	स्थल का पूर्ण पता	विद्युत भण्डार केन्द्र, सेक्टर-20, नोएडा के पास।
2.	निरीक्षण दिनांक	19.01.2026
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	श्रीमती पूजा त्रिपाठी, अवर अभियन्ता, श्री रवि कुमार, जे0आर0एफ0
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	विद्युत भण्डार केन्द्र, सेक्टर-20, नोएडा के पास पी0वी0वी0एन0एल0 की कार्यदायी संस्था के द्वारा भूमिगत केबिल डालने का कार्य होता हुआ पाया गया एवं मिट्टी की खुदाई कर रोड के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय पी0वी0वी0एन0एल0 की कार्यदायी संस्था के द्वारा भूमिगत केबिल डालने का कार्य होता हुआ पाया गया एवं मिट्टी की खुदाई कर रोड के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है तथा मिट्टी पर ग्रीन नेट कवरिंग व जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।
		
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	उपरोक्त संदर्भित स्थल पर मिट्टी का सड़क के किनारे खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया तथा मिट्टी पर जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने पर वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष विद्युत भण्डार केन्द्र, सेक्टर-20, नोएडा के पास निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा  
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांक: 1530/साठप०-194/26

दिनांक: 20-01-2026

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (K.K.),  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा

विषय:-मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-19.01.2026 को निरीक्षण के दौरान ए-72, सेक्टर-50, नोएडा के सामने पी०वी०वी०एन०एल० की कार्यदायी संस्था के द्वारा भूमिगत केबिल डालने का कार्य होता हुआ पाया गया एवं मिट्टी खुदाई कर रोड के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है, जिस पर ग्रीन नेट कवरिंग व समुचित जल छिड़काव की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। जिसके फलस्वरूप हवा चलने व वाहनों के आवागमन से आस-पास के वायुमण्डल में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में पी०वी०वी०एन०एल० की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू० 50,000/- (रू० पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी


प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, जनपद-गौतमबुद्ध नगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या-

1.	स्थल का पूर्ण पता	ए-72, सेक्टर-50, नोएडा के सामने।
2.	निरीक्षण दिनांक	19.01.2026
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	श्रीमती पूजा त्रिपाठी, अवर अभियन्ता, श्री रवि कुमार, जे0आर0एफ0
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	ए-72, सेक्टर-50, नोएडा के सामने पी0वी0वी0एन0एल0 की कार्यदायी संस्था के द्वारा भूमिगत केबिल डालने का कार्य होता हुआ पाया गया एवं मिट्टी की खुदाई कर रोड के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय पी0वी0वी0एन0एल0 की कार्यदायी संस्था के द्वारा भूमिगत केबिल डालने का कार्य होता हुआ पाया गया एवं मिट्टी की खुदाई कर रोड के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है तथा मिट्टी पर ग्रीन नेट कवरिंग व जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।



8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	उपरोक्त संदर्भित स्थल पर मिट्टी का सड़क के किनारे खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया तथा मिट्टी पर जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने पर वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है।
----	--	---



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा  
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांक: 1591/साप्पो-194/21

दिनांक: 20-01-2026

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (K.K.),  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा

विषय:- मा10 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-19.01.2026 को निरीक्षण के दौरान सेक्टर-50, निकट एस0टी0पी0, नोएडा के पास नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा सीवेज पाइप लाइन डालने का कार्य होता हुआ पाया गया एवं मिट्टी की खुदाई कर खुले में भण्डारण कर दिया गया है, जिस पर ग्रीन नेट कवरिंग व समुचित जल छिड़काव की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। जिसके फलस्वरूप हवा चलने व वाहनों के आवागमन से आस-पास के वायुमण्डल में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा10 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार ₹0 50,000/- (₹0 पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, जनपद-गौतमबुद्ध नगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्तमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या-

1.	स्थल का पूर्ण पता	सेक्टर-50, निकट एस0टी0पी0, नोएडा के पास।
2.	निरीक्षण दिनांक	19.01.2026
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	श्रीमती पूजा त्रिपाठी, अवर अभियन्ता, श्री रवि कुमार, जे0आर0एफ0
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	सेक्टर-50, निकट एस0टी0पी0, नोएडा के पास नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा सीवेज पाइप लाइन डालने का कार्य होता हुआ पाया गया एवं मिट्टी की खुदाई कर खुले में भण्डारण कर दिया गया है।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा सीवेज पाइप लाइन डालने का कार्य होता हुआ पाया गया एवं मिट्टी की खुदाई कर खुले में भण्डारण कर दिया गया है तथा मिट्टी पर ग्रीन नेट कवरींग व जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।



8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रेयर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	उपरोक्त संदर्भित स्थल पर मिट्टी खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया तथा मिट्टी पर जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने पर वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष सेक्टर-50, निकट एस0टी0पी0, नोएडा के पास निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत पी0वी0वी0एन0एल0 की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार 50,000/- (पचास हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

सहाय्यक अभियन्ता / क्षेत्रीय अधिकारी

रवि कुमार  
जे0आर0एफ0

पूजा त्रिपाठी  
अवर अभियन्ता



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा  
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांक: 1594/सां००-194/24

दिनांक: 20-01-2026

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (K.K.),  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा

विषय:—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-19.01.2026 को निरीक्षण के दौरान नियर लोटस 300, सेक्टर-107, नोएडा के सामने नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा नाला मरम्तीकरण के कार्य के उपरांत मिट्टी एवं मलबा को सड़क के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है, जिस पर समुचित जल छिड़काव एवं ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी है। जिसके फलस्वरूप हवा चलने व वाहनों के आवागमन से आस-पास के वायुमण्डल में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू0 10,000/- (रू0 दस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, जनपद-गौतमबुद्ध नगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या-

1.	स्थल का पूर्ण पता	नियर लोटस 300, सेक्टर-107, नोएडा के सामने। Lat-28.544736 Long-77.374335
2.	निरीक्षण दिनांक	19.01.2026
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	श्रीमती पूजा त्रिपाठी, अवर अभियन्ता, श्री रवि कुमार, जे0आर0एफ0
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	नियर लोटस 300, सेक्टर-107, नोएडा के सामने नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा नाला मरम्मीकरण के कार्य के उपरांत मिट्टी एवं मलबा को सड़क के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा नाला मरम्मीकरण के कार्य के उपरांत मिट्टी एवं मलबा को सड़क के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है तथा मिट्टी एवं मलबा पर ग्रीन नेट कवरींग व जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।
		
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	उपरोक्त संदर्भित स्थल पर मिट्टी एवं मलबा का सड़क के किनारे खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया तथा मिट्टी एवं मलबा पर जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने पर वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष नियर लोटस 300, सेक्टर-107, नोएडा के सामने निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार 10,000/- (दस हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

सहा0प्रया0अभि0/क्षेत्रीय अधिकारी

(रंजीत कुमार)  
जे0आर0एफ0

(पूजा त्रिपाठी)  
अवर अभियन्ता



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा  
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांक: 1595/संगण-194/24

दिनांक: 20-01-2026

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (K.K.),  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा

विषय:-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-19.01.2026 को निरीक्षण के दौरान निकट महागुन, सेक्टर-107, नोएडा के पास आई0जी0एल0 की कार्यदायी संस्था के द्वारा गैस पाइप लाइन डालने का कार्य होता हुआ पाया गया तथा गैस पाइप लाइन डालने हेतु मिट्टी की खुदाई कर सड़क के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है, जिस पर समुचित जल छिड़काव एवं ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी है। जिसके फलस्वरूप हवा चलने व वाहनों के आवागमन से आस-पास के वायुमण्डल में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में आई0जी0एल0 की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू0 10,000/- (रू0 दस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, जनपद-गौतमबुद्ध नगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या-

1. स्थल का पूर्ण पता	निकट महागुन, सेक्टर-107, नोएडा के पास। Lat-28.546582 Long-77.379012
2. निरीक्षण दिनांक	19.01.2026
3. निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	श्रीमती पूजा त्रिपाठी, अवर अभियन्ता, श्री रंजीत कुमार, जे0आर0एफ0।
4. एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	निकट महागुन, सेक्टर-107, नोएडा के पास आई0जी0एल0 की कार्यदायी संस्था के द्वारा गैस पाइप लाइन डालने का कार्य होता हुआ पाया गया तथा गैस पाइप लाइन डालने हेतु मिट्टी की खुदाई कर सड़क के किनारे खुले में भण्डारण कर दिया गया है।
5. उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6. प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7. निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय आई0जी0एल0 की कार्यदायी संस्था के द्वारा सड़क के किनारे मिट्टी की खुदाई कर खुले में भण्डारण कर दिया गया है तथा मिट्टी पर ग्रीन नेट कवरिंग व जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।
	
8. निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	उपरोक्त संदर्भित स्थल पर मिट्टी का सड़क के किनारे खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया तथा मिट्टी पर जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने पर वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है।
9. पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष निकट महागुन, सेक्टर-107, नोएडा के पास निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत नोएडा अथारिटी की अधिकृत कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार 10,000/- (दस हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

सहा0पर्या0अभि0/क्षेत्रीय-अधिकारी

(रंजीत कुमार)  
जे0आर0एफ0

(पूजा त्रिपाठी)  
अवर अभियन्ता



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा  
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांक: 1604/2014-194/26

दिनांक: 21-01-26

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (K.K.),  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा

विषय:-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-20.01.2026 को निरीक्षण के दौरान Sector-122, Near PK Block gate no-1 to gate no-2, Noida (Lat-28.594746 Long-77.396360) के पास नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा नाले का निर्माण कार्य होता हुआ पाया गया एवं नाले के निर्माण हेतु निर्माण सामग्री एवं मिट्टी का खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया, जिस पर समुचित जल छिड़काव एवं ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी है। जिसके फलस्वरूप हवा चलने व वाहनों के आवागमन से आस-पास के वायुमण्डल में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू0 50,000/- (रू0 पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, जनपद-गौतमबुद्ध नगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या-

1.	स्थल का पूर्ण पता	Sector-122, Near PK Block gate no-1 to gate no-2, Noida Lat-28.594746 Long-77.396360
2.	निरीक्षण दिनांक	20.01.2026
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	श्री चन्द्र शेखर, सहायक पर्यावरण अधिकारी, श्रीमती पूजा त्रिपाठी, अवर अभियन्ता
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	Sector-122, Near PK Block gate no-1 to gate no-2, Noida के पास नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा नाले का निर्माण कार्य होता हुआ पाया गया एवं नाले के निर्माण हेतु निर्माण सामग्री एवं मिट्टी का खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा नाले का निर्माण कार्य होता हुआ पाया गया एवं नाले के निर्माण हेतु निर्माण सामग्री एवं मिट्टी का खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया तथा मिट्टी पर ग्रीन नेट कवरिंग व जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।
		
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	उपरोक्त संदर्भित स्थल पर निर्माण सामग्री एवं मिट्टी का खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया तथा मिट्टी पर जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने पर वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष Sector-122, Near PK Block gate no-1 to gate no-2, Noida के पास निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत नोएडा अथारिटी की

	कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार 50,000/- (पचास हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
--	--

क्षेत्रीय अधिकारी

*[Handwritten Signature]*  
20.1.26  
eo

*[Handwritten Signature]*  
20.01.26  
(पूजा त्रिपाठी)  
अवर अभियन्ता

*[Handwritten Signature]*  
20.01.26  
(चन्द्र शंखर)  
सहायपर्यामि0

नोट : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
- 1. 100 वर्ग मीटर तक - रु0 10,000/- अर्थ दण्ड।
- 2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक - रु0 20,000/- अर्थ दण्ड।
- 3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक - रु0 30,000/- अर्थ दण्ड।
- 4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक - रु0 50,000/- अर्थ दण्ड।
- 5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक - रु0 5,00,000/- अर्थ दण्ड।
- 6. बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में रु0 5,000/- एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा  
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांक: 1715/सम्प-194/26

दिनांक: 06-02-2026

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (K.K.),  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। शिकायतकर्ता श्री अमित गुप्ता द्वारा दूरभाष पर सेक्टर-50, निकट नोएडा अथारिटी एस0टी0पी0, नोएडा के पास सीवर पाइप लाइन डालने से हो रहे वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में शिकायत की गयी है। प्राप्त शिकायत के परिपेक्ष्य में कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-02.02.2026 को निरीक्षण के दौरान सेक्टर-50, निकट एस0टी0पी0, नोएडा के पास नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा सीवेज पाइप लाइन डालने का कार्य होता हुआ पाया गया एवं मिट्टी की खुदाई कर खुले में भण्डारण कर दिया गया है, जिस पर ग्रीन नेट कवरिंग व समुचित जल छिड़काव की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। जिसके फलस्वरूप हवा चलने व वाहनों के आवागमन से आस-पास के वायुमण्डल में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू0 50,000/- (रू0 पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है। उक्त के अतिरिक्त आपसे अनुरोध है कि रोड पर वाहनों के आवागमन से हो रहे मिट्टी हटाये जाने निरन्तर मैकेनिकल स्वीपिंग कराये जाने एवं पानी का छिड़काव किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भबदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, जनपद-गौतमबुद्ध नगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
3. शिकायतकर्ता श्री अमित गुप्ता को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : ई-12/1, सेक्टर-1, नोएडा-201301 फोन नं0 : 0120-4974552

मुख्यालय : TC-12V, विनूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Website - www.uppcb.com, e-mail : ronoida@uppcb.in

e:\pooja madam\penalty\covering.doc

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या-

1.	स्थल का पूर्ण पता	सेक्टर-50, निकट एस0टी0पी0, नोएडा के पास।
2.	निरीक्षण दिनांक	02.02.2026
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	श्रीमती पूजा त्रिपाठी, अवर अभियन्ता, श्री रवि कुमार, जे0ई0ए0
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	सेक्टर-50, निकट एस0टी0पी0, नोएडा के पास नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा सीवेज पाइप लाइन डालने का कार्य होता हुआ पाया गया एवं मिट्टी की खुदाई कर खुले में भण्डारण कर दिया गया है।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा सीवेज पाइप लाइन डालने का कार्य होता हुआ पाया गया एवं मिट्टी की खुदाई कर खुले में भण्डारण कर दिया गया है तथा मिट्टी पर ग्रीन नेट कवरिंग व जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।
		
8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	उपरोक्त संदर्भित स्थल पर मिट्टी खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया तथा मिट्टी पर जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने पर वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष सेक्टर-50, निकट एस0टी0पी0, नोएडा के पास निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार 50,000/- (पचास हजार रु0 मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

  
(रवि कुमार)  
जे0ई0ए0

  
(पूजा त्रिपाठी)  
अवर अभियन्ता

सहा0पर्या0अभि0/क्षेत्रीय अधिकारी



  
5.2.26  
RD

नोट : मा10 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
  1. 100 वर्ग मीटर तक – **₹ 10,000/-** अर्थ दण्ड।
  2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक – **₹ 20,000/-** अर्थ दण्ड।
  3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक – **₹ 30,000/-** अर्थ दण्ड।
  4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक – **₹ 50,000/-** अर्थ दण्ड।
  5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक – **₹ 5,00,000/-** अर्थ दण्ड।
  6. बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में **₹ 5,000/-** एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा  
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांक: 1782/एए०५०-194/20

दिनांक: 19-02-2026

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (K.K.),  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर-6, नोएडा

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप वायु प्रदूषण फैलाये जाने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-12.02.2026 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निकट नोएडा, सेक्टर-15, पिलर नं०-37 से पिलर नं०-44 के मध्य नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा मिट्टी की खुदाई कर खुले में भण्डारण कर दिया गया है, जिस पर समुचित जल छिड़काव एवं ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी है। जिसके फलस्वरूप हवा चलने व वाहनों के आवागमन से आस-पास के वायुमण्डल में वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है। उक्त स्थल पर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 में निर्गत निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने की दशा में नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार रू० 50,000/- (रू० पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जिलाधिकारी, जनपद-गौतमबुद्ध नगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या-

1.	स्थल का पूर्ण पता	निकट सेक्टर-15, पिलर नं0-37 से पिलर नं0-44 के मध्य, नोएडा।
2.	निरीक्षण दिनांक	12.02.2026
3.	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	श्री चन्द्र शेखर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, श्रीमती पूजा त्रिपाठी, अवर अभियन्ता
4.	एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति	निकट नोएडा, सेक्टर-15, पिलर नं0-37 से पिलर नं0-44 के मध्य नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा मिट्टी की खुदाई कर खुले में भण्डारण कर दिया गया है।
5.	उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0	-
6.	प्लॉट का क्षेत्रफल	-
7.	निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण	निरीक्षण के समय नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के द्वारा मिट्टी की खुदाई कर खुले में भण्डारण कर दिया गया है तथा मिट्टी पर ग्रीन नेट कवरिंग व जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।



8.	निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे-वाटरस्प्रिंकलर/ग्रीन नेट, तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं।	उपरोक्त संदर्भित स्थल पर मिट्टी खुले में भण्डारण किया हुआ पाया गया तथा मिट्टी पर जल छिड़काव आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी, जिससे वाहनों के आवागमन व हवा चलने पर वायु प्रदूषण की समस्या होना स्वाभाविक है।
9.	पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही	अतः पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष निकट नोएडा, सेक्टर-15, पिलर नं0-37 से पिलर नं0-44 के मध्य निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों, C&D Waste Management Rules-2016, Dust Notification Dt. 25-01-2018 एवं मा0 सी0ए0क्यू0एम0 के निर्गत निर्देशों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत नोएडा अथारिटी की कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार 50,000/-

		(पचास हजार रु० मात्र) की पर्यावरणीय अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
--	--	--

(पूजा त्रिपाठी)  
अवर अभियन्ता

(चन्द्र शेखर)  
सहायक अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी

नोट : मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
- 1. 100 वर्ग मीटर तक - ₹ 10,000/- अर्थ दण्ड।
- 2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक - ₹ 20,000/- अर्थ दण्ड।
- 3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक - ₹ 30,000/- अर्थ दण्ड।
- 4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक - ₹ 50,000/- अर्थ दण्ड।
- 5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक - ₹ 5,00,000/- अर्थ दण्ड।
- 6. बिना ढके निर्माण सामग्री/मलबा परिवहन करने वाले ट्रक अथवा अन्य वाहनों पर प्रथम बार में ₹ 5,000/- एवं दोहराये जाने पर अधिक दण्ड का प्राविधान।

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

M.A. No. 284 of 2015

In

Original Application No. 21/2014

And

Original Application No. 21/2014

(M.A. NO. 414/2015, M.A. NO. 778/2015, M.A. NO. 1086/2015, M.A. NO. 1313/2015,  
M.A. NO. 156/2016, M.A. NO. 172/2016, M.A. NO. 211/2016, M.A. NO. 253/2016, M.A.  
NO. 268/2016, M.A. NO. 358/2016, M.A. NO. 360/2016, M.A. NO. 406/2016, M.A. NO.  
475/2016, M.A. NO. 476/2016, M.A. NO. 521/2016, M.A. NO. 523/2016, M.A. NO.  
545/2016, M.A. NO. 564/2016, M.A. NO. 567/2016, M.A. NO. 578/2016, M.A. NO.  
690/2016 & M.A. NO. 708/2016)

And

Original Application No. 95/2014

And

Original Application No. 303/2015

IN THE MATTER OF :

Vardhaman Kaushik Vs. Union of India & Ors.  
And

Vardhaman Kaushik Vs. Union of India & Ors.  
And

Sanjay Kulshrestha Vs. Union of India & Ors.  
And

Supreme Court Women Lawyers Association Vs. Union of India & Ors.

CORAM : HON'BLE MR. JUSTICE SWATANTER KUMAR, CHAIRPERSON  
HON'BLE MR. JUSTICE M.S. NAMBIAR, JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE MR. JUSTICE RAGHUVENDRA S. RATHORE, JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE PROF. A.R. YOUSUF, EXPERT MEMBER  
HON'BLE MR. BIKRAM SINGH SAJWAN, EXPERT MEMBER

Present: Applicant:

Mr. Raj Panjwani, Sr. Adv., Salik Shafique and Ms.  
Divya Sharma, , Advs.

Respondent No. 1:

Dr. Sanjay Kulshrestha, Applicant in person  
Ms. Panchajanya Batra Singh, Advs. For MoEF & CC  
Mr. Rajiv Bansal, Mr. Kush Sharma and Mr. Keshav  
Datta, Advs.  
Mr. D. Rajeshwar Rao, Mr. Charajeet Singh, Advs. for  
PWD, Delhi Police and Transport Deptt.  
Mr. Naginder Benipal, Adv. for Mr. Anil Soni, AAG  
Mr. Joydeep Mazumdar, Mr. Rohit Dutta and Mr. Parijat  
Sinha, Advs.  
Mr. Rajul Shrivastava, Adv. MPPCB  
Ms. Sakshi Popli, Adv. NDMC  
Mr. Soumayajit Pani, Adv. for State of Odisha  
Mr, Guntur Prabhakar, Mr. Prashant Mathur and Mr.  
Guntur Pramod Kumar, Advs.  
Mr. Raman Yadav, Adv.  
Mr. Atul Jha Adv. for State of Chattisgarh  
Mr. Devraj Ashok, Adv. for State of Karnataka  
Mr. Ardhendumauli Kumar Prasad and Mr. Panshul  
Chandrachud, Advs.  
Mr. Balendu Shekhar and Mr. Akshay Abrol, Mr. Eishan  
Bahuguna, Advs. for EDMC  
Mr. Pinky Anand, ASG, Mr. Rajesh Ranjan, Ms. Somya  
Rathore and Mr. Balendu Shekhar, Advs. for Ministry  
of RTH and Ministry of Heavy Industries, MoEF  
Mr. Sarthak Chaturvedi and Mr. Rohit Pandey, Mr.  
Devendernath Tirpathi, Advs. for Andaman & Nicobar  
Administration  
MR. Edward Balho, Ms. Elix Gangmel and Mr. K.  
Luikang Michael, Advs.  
Mr. Rudreshwar Singh and Mr. Gautam Singh, Advs.  
Ms. Puja Kalra, Adv. for NDMC, SDMC

GNCTD

Mr. Pragyan Sharma and Mr. Ravi Kantt, Advs. for State of Mizoram  
 Mr. Jayesh Gaurav, Adv. for JSPCB  
 Mr. Sapam Biswajit Meitei and Mr. S. Vijayanand, Advs. for State of Manipur  
 Ms. Aruna Mathur, Ms. Anuradha Arputham and Mr. Avneesh Arputham, Advs.  
 Mr. Abhishek Yadav, Adv. for State of U.P.  
 Mr. Suryanarayan Singh, AAG  
 Mr. Narnedner Pal Singh, Adv. Ms. Guneet Khehar, Adv. for Mr. Tarunvir Singh Khehar, Adv. for GNCTD  
 Mr. Jogy Scaria, Adv. for State of Kerala and SPCB  
 Mr. Raj Kumar, Adv. Ms. Alpana Poddar, Adv. and Mr. Bhupinder Kr. LA., CPCB  
 Mr. Mukesh Verma, Adv. for MPCB  
 Ms. Priyanka Swami, Adv. for Nagar Nigam Ghaziabad Mr. Arun K. Gupta, LO  
 Mr. P. Venkat Reddy and Mr. Prashant Kr. Tyani, Advs. for State of Telengana  
 Mr. Dileep Poolakkot, Adv. for State of Goa  
 Mr. Vibhav Misra and Mr. Saumya Misra, Advs. for DTC  
 Mr. Ravindra Kr. And Mr. Gudipati G. Kashyap, Advs. for NOIDA and Greater NOIDA  
 Mr. Jayesh Gaurav, Adv. for JSPCB  
 Ms. Priyanka Sinha and Mr. Shridhar Sawrup, Advs. for State of Jharkhand  
 Ms. Varsha Poddar advs. for State of Tripura  
 Ms Nandini Gore and Ms. Khushboo Bari and Mr. Bipin Das, Advs. for Tata Motors Ltd.M. A. No. 172 of 2016  
 Mr. Anil Grover AAG and Mr. Rahul Khurana, Adv. for State of Haryana  
 Mr. Narender Pal Singh, Adv. and Mr. Dinesh Jindel, LO, DPCC  
 Mr. Sandeep Narain and Ms. Khushboo, Advs.  
 Ms. Diksha Sharma, Adv. for Mr. Muzzaffr Khand s/o Ayyab Khan  
 Mr. Shiv MangaL Sharma, AAG, Mr. Adhiraj Singh and Mr. Sarurabh Rajpal, Advs. for Rajasthan PCB  
 Mr. R. Rakesh Sharma and Mr. M. Samy Adv. for State of Tamil Nadu and TNPCB  
 Mr. Gaurav Kr. Bansal and Ms. Antima Bazaz, Advs. In MA 264/2016  
 Mr. Dinesh Garg and Mr. Dhananjay Garg, Advs. For State of Uttarakhand  
 Mr. K.T.S. Tulsi, Mr. Raj Kamal and Ms. Pallavi Malhotra, Advs.  
 Mr. V.K. Shukla, Adv.  
 Mr. Ashish Negi and Ms. Richa Kapoor, Advs.  
 Mr. Karan Grover, Adv. for NHAI  
 Ms. Taruna A. Prasad, Adv. for MoEF  
 Mrs. Rani chhbra and Ms. Priyanka Samy, Advs. In MA 358/2016 and 545/2016

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
Item Nos. 06 to 09  July 20, 2016 HA + A	<p><b><u>MAIN MATTERS</u></b></p> <p>In continuation of our order dated 18<sup>th</sup> July, 2016 we pass the following further directions for appropriate and effective implementation of the directions issued.</p> <p>1. We make it clear that deregistration of the diesel vehicles, more than 10 years old shall be complied</p>

<p><b>Item Nos. 06 to 09</b></p> <p><b>July 20, 2016</b></p>	<p>with effectively and without default. However, the deregistration authorities are directed to start deregistration with reference to the oldest of the vehicles, in other words at the first step the vehicles which are more than 15 years old would be deregistered and then gradually other vehicles would be deregistered from 15 years to 10 years respectively.</p> <p>2. All the vehicles which are deregistered in Delhi/NCR would not be permitted to ply in Delhi/NCR. However, the authorities will issue NOC for such vehicles to be registered outside the Delhi/NCR. We further clarify that in terms of the orders of the Tribunal every State has to identify areas where the dispersion of the air is higher and vehicular density is least, if the States have not done it so far we grant last opportunity to the States and the Union Territories to identify such areas and put them on the respective websites. The RTO, Delhi will issue NOC for transfer of these vehicles only for such areas which are identified by the States.</p> <p>3. The diesel vehicles which are more than 15 years old and are BS I or BS II compliant shall be scraped and no NOC will be issued for transfer of the vehicles.</p> <p>4. The vehicles which possess national permit, but are covered under the directions of the Tribunal will also not be permitted to ply in Delhi/NCR. However, they would be permitted to by-pass Delhi and follow the routes directly connecting Haryana and Rajasthan or vice-versa. For instance the heavy</p>
--	--

	<p><b>Item Nos. 06 to 09</b></p> <p><b>July 20, 2016</b></p>	<p>vehicles are being permitted under the orders of the Tribunal from Panipat and Rewari without entering Delhi.</p> <p>5. We hereby direct NCT/Delhi to take immediate steps for improving and expanding the mass transportation system. It should introduce proper buses which should preferably be run from destination to destination thus making the travel much easier for the commuters. The buses should be of different kinds, including providing buses to the metro stations. All these buses should be CNG buses or hybrid or electric buses.</p> <p>6. The DDA is hereby directed to provide space to the DTC and the Police for the purpose of parking of Vehicles, including impounded vehicles. We direct the Chief Secretary, Delhi to take up a meeting with the Commissioner of the Delhi, Vice-Chairmen of the DDA and all the Commissioners of the respective Municipal Corporations, NDMC and Delhi Cantonment Board. Meeting will be held within 1 week from today and the report be submitted to the Tribunal. This would identify the land already given by DDA to the authorities for the purpose of parking to DTC or other authorities for parking of running buses as well as impounded vehicles, it would further identify the sites which are required to be provided for that purpose.</p> <p>The scraping benefit including benefit in purchase of new cars, is under the consideration of the Ministry of Heavy Industries. Let the final view in that behalf be taken</p>
--	--	--

	<p><b>Item Nos. 06 to 09</b></p> <p><b>July 20, 2016</b></p>	<p>and the same should be widely published to provide new incentives to the public to scrap their old vehicles. It has been termed by the Ministry as “Scraping Policy”.</p> <p>Learned counsel appearing for the NCT/Delhi has brought to our notice that to orders is needed effectively implement the directions of the Tribunal in relation to the use of pressure horns and motor bikes being driven with intolerable sound which are violative of the prescribed norms. Besides challaning the vehicles under the Motor Vehicles Act, action is also to be taken for violation of the conditions of the registration that is violating the original conditions of the vehicle in which it was registered and the fine provided there is more than Rs. 2000, besides challaning the vehicles for traffic offence. We find that the traffic police should implement the directions and take the above action which is in accordance with law, with a greater vigour and sincerity. We further direct that for generating the undue intolerable sound, in violation of the law, also results in noise pollution and is covered under the prescribed norms in the Noise Pollution Rules which have been enacted under the Environment (Protection) Act, 1986, one of the Scheduled Act of the National Green Tribunal Act, 2010. Therefore we direct that in addition to other actions in accordance with law, such offenders would also be liable to pay Environmental Compensation of Rs. 5,000 per violation on the basis of “Polluter Pays Principle”. Let this fine be also collected by the Traffic police and be deposited in a separate account that would be maintained by the Delhi Police or the NCT Delhi as the Chief Secretary of Delhi may decide. In the event of default of the payment of the Environmental</p>
--	--	---

	<p><b>Item Nos. 06 to 09</b></p> <p><b>July 20, 2016</b></p>	<p>Compensation, the traffic authority is at liberty to approach the Tribunal by issuing notice to such violator to be present before the Tribunal for the offence.</p> <p>List these matters for hearing on 28<sup>th</sup> July, 2016.</p> <p>In the meanwhile, liberty is granted to the States to file their response.</p> <p><b><u>M.A. No. 414 of 2015</u></b></p> <p>In view of the order passed by us above this Application does not survive for consideration.</p> <p>Accordingly, M.A. No. 414 of 2015 stands disposed of without any order as to costs.</p> <p><b><u>M.A. No. 778 of 2015</u></b></p> <p>Nobody is present on behalf of the Applicant non was present on the previous date.</p> <p>This Application is dismissed for default of appearance.</p> <p>Accordingly, M.A. No. 778 of 2015 stands disposed of without any order as to costs.</p> <p><b><u>M.A. No. 1086 of 2015</u></b></p> <p>Nobody is present on behalf of the Applicant non was present on the previous date.</p> <p>This Application is dismissed for default of appearance.</p> <p>Accordingly, M.A. No. 1086 of 2015 stands disposed of without any order as to costs.</p> <p><b><u>M.A. No. 1313 of 2016</u></b></p> <p>In view of the order passed by us above this</p>
--	--	--

<p><b>Item Nos. 06 to 09</b></p> <p><b>July 20, 2016</b></p>	<p>Application does not survive for consideration.</p> <p>Accordingly, M.A. No. 1313 of 2016 stands disposed of without any order as to costs.</p> <p><b><u>M.A. No. 156 of 2016</u></b></p> <p>This is an application with reference to the exemption to be granted to vintage and antique vehicles from the orders of the Tribunal dated 26<sup>th</sup> November, 2014. Learned counsel appearing for the main Applicant and NCT of Delhi submit that they have some objections in regard thereto.</p> <p>List this matter for hearing on 28<sup>th</sup> July, 2016.</p> <p><b><u>M.A. No. 172 of 2016</u></b></p> <p>At the request of the Learned counsel appearing for the parties the matter is adjourned to 28<sup>th</sup> July, 2016.</p> <p><b><u>M.A. No. 211 of 2016</u></b></p> <p>Nobody is present on behalf of the Applicant; none was present on the previous date.</p> <p>This Application is dismissed for default of appearance.</p> <p>Accordingly, M.A. No. 211 of 2016 stands disposed of without any order as to costs.</p> <p><b><u>M.A. No. 253 of 2016</u></b></p> <p>We have heard the Learned counsel appearing for the parties.</p> <p>The Application is allowed limited to the extent that vehicles would be permitted to be registered with the RTO office of Delhi but these buses would not run in NCT of</p>
--	--

<p><b>Item Nos. 06 to 09</b></p> <p><b>July 20, 2016</b></p>	<p>Delhi but would ply between its destination point to Kathmandu. To that extent this Application is allowed subject to just exception.</p> <p>Accordingly, M.A. No. 253 of 2016 stands disposed of without any order as to costs.</p> <p><b><u>M.A. No. 268 of 2016</u></b></p> <p>This Application is filed for postponement of the date of hearing of the matter. The matter is already heard. Therefore this Application does not survive for consideration as having become infructuous.</p> <p>Accordingly, M.A. No. 268 of 2016 stands disposed of without any order as to costs.</p> <p><b><u>M.A. Nos. 358 of 2016 and 545 of 2016</u></b></p> <p>Prayers in these Applications to run Buses from Meerut to Bulandsahar via Hapur. We allow the prayers of the applicants. But we make it clear that these buses will not enter into Delhi, that is Ghaziabad, Faridabad, Gurgaon, Greater NOIDA and Sonipat.</p> <p>Accordingly, M.A. Nos. 358/2016 and 545/2016 stand disposed of without any order as to costs.</p> <p><b><u>M.A. No. 360 of 2016</u></b></p> <p>We have heard the Learned counsel appearing for the parties.</p> <p>We clarify that the environmental compensation would be imposed on slab basis. We find that the prayer made in this Application is just and fair and if the offending construction in plot upto 100sq.mt. the</p>
--	---

<p><b>Item Nos. 06 to 09</b></p> <p><b>July 20, 2016</b></p>	<p>environmental compensation would be Rs. 10,000/-, if the offending construction is more than 100 sq. mtr. But upto 200sq.mt., the environmental compensation would be Rs. 20,000/-, if the offending construction is in a plot of more than 200 sq. mt. but less than 500sq. mt. the environmental compensation would be Rs. 30,000/-, while the offending construction is in a plot area of more than 500 sq.mt. the environmental compensation would be Rs. 50,000/- as already directed by the orders of the Tribunal. Wherever the constructed area is more than 20,000 sq. mtr. The environmental compensation would be Rs. 5 Lakhs. This rate will operate prospectively.</p> <p>Accordingly, M.A. No. 360 of 2016 stands disposed of without any order as to costs.</p> <p><b>M.A. No. 406 of 2016</b></p> <p>We have heard the Learned counsel appearing for the parties.</p> <p>We direct that all the Authorities in NCT of Delhi including DDA, NDMC, All Municipal Corporation of Delhi and Delhi Cantonment Board that they would ensure that there is no burning of any kind of waste in open or otherwise and for every default occurrence the person would be liable to pay Rs. 5000 /- as environmental compensation to the Officer of the respective Agencies. Even the matter could be reported to Delhi Police also.</p> <p>Accordingly, M.A. No. 406 of 2016 stands disposed of without any order as to costs.</p>
--	--

	<p><b>Item Nos. 06 to 09</b></p> <p><b>July 20, 2016</b></p>	<p><b><u>M.A. No. 567 of 2016</u></b></p> <p>List this matter for arguments on 28<sup>th</sup> July, 2016.</p> <p><b><u>M.A. No. 708 of 2016</u></b></p> <p>This application is for placing additional documents on record and has been filed on behalf of the Department of Heavy Industries, Government of India. There is no objection to these applications, the Application is allowed subject to just exception. Let the documents be furnished to all the parties appearing in the case during the course of the day.</p> <p>Accordingly, M.A. No. 708 of 2016 stands disposed of without any order as to costs.</p> <p>.....,CP (Swatanter Kumar)</p> <p>.....,JM (M.S. Nambiar)</p> <p>.....,JM (Raghuvendra S. Rathore)</p> <p>.....,EM (Prof. A.R. Yousuf)</p> <p>.....,EM (Bikram Singh Sajwan)</p>
--	--	---